

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crime-I

उप ग्रुप अधिकारी

मुकाम

राजगढ़

महानगर

बनाम

सुभरतपाल वगै.

नं.....

सं.....

प्रा. पत्र दा. जार. टी. एक्ट

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

21.6.18 आज यह प्रा. पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212
आर. एन. एक्ट का चकील प्रार्थी ने अप्रार्थगण के विरुद्ध
प्रस्तुत कर अप्रार्थगण को जरिये अन्तरिम आस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी विवदित
हाल खतरा नम्बर 258/0. 97, 260/0. 60, 279/0. 58, 287/0. 13,
288/0. 04, 527/1711/0. 04, 298/0. 05 है. बाके ग्राम धमरेड
तह. राजगढ़ में स्थित है तो प्रार्थी को कार्य कायत में कितनी प्रकार
की रुकावट व मजाहमत पैदा न करें आराजी से जबरन बेदखल
कर कब्जा न करें साथ में मापथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।

बहस चकील प्रार्थी एक पक्ष में सूनी गई । पत्रावली का
अवलोकन किया गया । प्रा. पत्र प्रार्थी मापथ पत्र व प्रस्तुत दर्तावेज
पर विश्वास करने पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होना
प्रतिष्ठित होता है । अतः अप्रार्थगण को जरिये अन्तरिम आस्थाई
निषेधाज्ञा से दिनांक 20.7.18 तक पाबन्द किया जाता है
कि वो विवदित आराजी से प्रार्थी को कार्य कायत में कितनी
प्रकार की रुकावट व मजाहमत पैदा न करें आराजी से प्रार्थी
को जबरन बेदखल कर कब्जा न करें । साथ में रजि. नोटिस
भी जारी हो कि अप्रार्थगण को कोई स्तराज हो तो दिनांक
20.7.18 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें । दर्ज हो।

उप ग्रुप अधिकारी, राजगढ़
अपग्रुप अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

[Handwritten Signature]

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 21/9/18
को पेश हो।

[Handwritten Signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए।

7-10 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 16.12.22
को पेश हो।

रीडर

16-12 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 2.3.23
को पेश हो।

रीडर

23/12/23 अतिभाषक सम्पन्न ने कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 29.12.23
को पेश हो

S.D.O.

25/12/23 अतिभाषक सम्पन्न ने कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 19.12.23
को पेश हो

S.D.O.

19/05/23
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19.11.23
को पेश हो।

रीडर

7/8/23
पत्रावली पेश हुई। वरुण लाल गुप्त
वकील काजी अहं शरित्वाली एवं श्री
जली T-2. दिनांक 21-6-2018 को
कार्रवाई करवा एवापी की जाने
से प्रयत्न हो तब से एवं कार्रवाई
दिनांक 21-6-2018 तक लाल लाल करवा
एवापी किया जाता है। श्री लाल लाल
कुंठ करवा करवा करवा करवा करवा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

5/20